बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–स्था०1/आ०2–01/2016 /27 /पटना, दिनांकः– 23/01/23

कार्यालय आदेश

श्री नवेन्द्र कुमार राउत, तत्कालीन कनीय सांख्यिकी सहायक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, मुख्यालय, पटना संप्रति अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, सारण के विरूद्ध विभिन्न स्वचालित मौसम केन्द्र के प्राप्त आँकड़ों के प्रवाह एवं गुणवत्ता का आकलन कर सुधारात्मक कार्रवाई किये जाने हेतु कार्यालय के संज्ञान में लाने का कार्य नहीं करने, सर्वर पर प्राप्त स्वचालित मौसम केन्द्र के आँकड़ों को ई–मेल के माध्यम से प्रतिदिन संबद्ध विभागों को नियमित रूप से प्रेषित नहीं किये जाने, दिनांक– 01.02.2014 से केन्द्रवार एवं तिथिवार Dropouts की सूची कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं स्वचालित मौसम केन्द्र से प्राप्त दैनिक/प्रति घंटा के आँकड़ों का साफ्ट प्रति सर्वर कक्ष में सी०डी० में सुरक्षित रखने का कार्य नहीं करने संबंधी आरोप में निदेशालय के का०आ०सं०–94 सहपठित ज्ञापांक–694 दिनांक–07.04.2016 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। इस विभागीय कार्यवाही में वरीय संयुक्त निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, मुख्यालय, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । इस मामले में निदेशालय के का०आ०सं०–280 सहपठित ज्ञापांक–1835 दिनांक–25.11.2015 द्वारा तत्काल प्रभाव से श्री नवेन्द्र कुमार राउत को निलंबित किया गया। निदेशालय के का०आ०सं०–406 सहपठित ज्ञापांक–2780 दिनांक–13.12.2017 द्वारा आदेश निर्गत की तिथि से इन्हें निलंबन मुक्त किया गया।

2. वरीय संयुक्त निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–612 दिनांक–30.03.2017 द्वारा समर्पित संचालन प्रतिवेदन में निम्न निष्कर्ष दिया गया हैः–

(i) आरोप संख्या–1 अंशतः प्रमाणित।

(ii) आरोप संख्या–2 अंशतः प्रमाणित।

(iii) आरोप संख्या–3 अंशतः प्रमाणित।

(iv) आरोप संख्या–4 अंशतः प्रमाणित ।

3. संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री नवेन्द्र कुमार राउत के विरूद्ध गठित आरोप अंशतः प्रमाणित पाये जाने के समर्पित संचालन प्रतिवेदन पर श्री राउत से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण,

0435 स्था0 1 (का0 आ0) (16 जनवरी, 2023).

नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) के तहत द्वितीय कारण पृच्छा/अभ्यावेदन प्राप्त किया गया। श्री राउत ने समर्पित अपने द्वितीय कारण पृच्छा/अभ्यावेदन में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया है :–

आरोप–1 – जिस कार्य के लिए उन्हें अंशतः दोषी ठहराया गया है, वह कार्य संयुक्त निदेशक (कृषि) और सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी का दायित्व है।

आरोप–2 – उनके विरूद्ध कभी भी प्रतिकूल अभ्युक्ति सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा दर्ज नहीं कराई गई है।

आरोप–3 (i)– संचालन पदाधिकारी ने निष्कर्ष में ये भी लिखा है कि AWS से प्राप्त आँकड़ों का बैकअप लेने का उत्तरदायित्व सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी की थी। जबकि उनके विरूद्ध कभी भी प्रतिकूल अभ्युक्ति सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा दर्ज नहीं कराई गई है।

(ii) उपनिदेशक (वर्षापात) और वरीय संयुक्त निदेशक–सह–संयुक्त निदेशक (कृषि) ने इकरारनामा (Agreement) अभिलेख की प्रति न तो सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी को उपलब्ध कराना जरूरी समझा और न हीं उन्हें। ऐसी स्थिति में कार्य की प्रकृति की जानकारी न तो उन्हें थी और न ही सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी को।

(iii) उनके निलंबन के प्रक्रम के साथ ही सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी का वेतन भी इन्हीं आरोपों के आधार पर रोक दिया गया था। जाँच के बाद उन्हें निर्दोष पाया गया। ऐसी स्थिति में जब सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी ही निर्दोष पाये गये, जिन पर बैकअप लेने का उत्तरदायित्व था, तो उनपर कैसे अंश मात्र भी आरोप प्रमाणित होता है।

आरोप–4 – AWS से प्राप्त दैनिक /प्रति घंटा के आँकड़ों का सॉफ्ट कॉपी सर्वर कक्ष में सुरक्षित रखने का दायित्व प्रभारी सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी की थी। वे सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी के आदेशानुसार आँकड़ों का सॉफ्ट कॉपी CD में तैयार कर उनके समक्ष पूर्व में ही जमा कर चुके थे।

श्री नवेन्द्र कुमार राउत द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में उन्ही तथ्यों का उल्लेख किया गया है जो उनके द्वारा संचालन पदाधिकारी को दिये गये अभ्यावेदन में किया गया है। इनके द्वारा किसी नये तथ्य का उल्लेख अपने अभ्यावेदन में नहीं किया गया है।

श्री नवेन्द्र कुमार राउत द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया गया जिसके चलते मुख्यालय अवस्थित स्वचालित मौसम केन्द्र (AWS) नियंत्रण कक्ष के आँकड़ों का संधारण एवं रख–रखाव सही ढ़ग से नहीं हो पाया। अतएव इनका अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

0435 स्था0 1 (का0आ0) (16 जनवरी, 2023).

अतः संचालन पदाधिकारी द्वारा संचालन प्रतिवेदन में दिये गये निष्कर्ष से सहमत होते हुए श्री नवेन्द्र कुमार राउत, तत्कालीन कनीय सांख्यिकी सहायक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, मुख्यालय, पटना संप्रति अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, सारण पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(i) में किये गये प्रावधान के तहत निन्दन की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

ह०/–
(संजय कुमार पंसारी)
निदेशक

ज्ञापांकः– स्था०1/आ०2–01/2016 /176 /पटना, दिनांकः–23/01/23

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. जिला पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. उप निदेशक(सां०), सारण प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. सहायक निदेशक (स्थापना)/सहायक निदेशक (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
5. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
7. श्री नवेन्द्र कुमार राउत, तत्कालीन कनीय सांख्यिकी सहायक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, मुख्यालय, पटना संप्रति अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, सारण को सूचनार्थ प्रेषित।

23/01/23
निदेशक